BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

IN

ORIGINAL APPLICATION NO. 1221 OF 2024

IN THE MATTER OF:

News Item titled "Bareilly cracker factory blast toll upto 6 main accused held" appearing in the Hindustan Times dated 03.10.2024

INDEX

S.No.	Particulars	Page No.
1.	Affidavit Of District Magistrate Bareilly, In Compliance Of Order Dated 04.10.2024 Passed By This Hon'ble Tribunal	1-9
2.	**Annexure R-1:** A copy of the order dated 04.10.2024 passed by this Hon'ble Tribunal	10-12
3.	**Annexure R-2:** A copy of the office order no. 716/ST-2024 dated 03.10.2024	13
4.	**Annexure R-3:** A copy of the Joint Inspection Report dated 10.10.2024.	14-16

5.	**Annexure R-4:** A copy of the FIR dated 03.10.2024	17-26
6.	**Annexure R-5 (Colly):** A copy of representations dated 17.10.2024 seeking compensation.	27-30
7.	**Annexure R-6:** A copy of the notice issued by the Sub Divisional Magistrate, Aonla, District- Bareilly	31

THROUGH

Ankit Verma

(ANKIT VERMA)

STANDING COUNSEL STATE OF UP

A-15 FF,NIZAMUDDIN EAST, NEW DELHI- 110013

MOB:- 0999080440

Email-ankit.scngtup@gmail.com

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

IN

ORIGINAL APPLICATION NO. 1221OF 2024

IN THE MATTER OF:

News Item titled "Bareilly cracker factory blast toll upto 6 main accused held" appearing in the Hindustan Times dated 12.10.2024

AFFIDAVIT OF DISTRICT MAGISTRATE BAREILLY, IN COMPLIANCE OF ORDER DATED 04.10.2024 PASSED BY THIS HON'BLE TRIBUNAL

23
04/01/25

The Respondent No. 4 Herein states as under

MOST RESPECTFULLY SHOWETH:

I, Ravindra Kumar aged about 43 years, posted as District Magistrate – Bareilly, the deponent, do hereby solemnly state and affirm as under: -

1. That I am the above-mentioned authorized officer on behalf of answering Respondent 4 and is duly competent to file the present affidavit. That the Deponent is well conversant with the facts and the circumstance of the instant case and is competent to swear this affidavit.

2. That the Deponent has read and understood the contents of the present affidavit. The averments made in the Original Application, which are not specifically admitted hereunder must be considered to have been denied by the Deponent.

3. That the deponent is posted as District Magistrate- Bareilly, since 03-10-2023 and is swearing this affidavit in his official capacity.

4. That this Hon'ble Tribunal vide it's order dated 04.10.2024 was pleased to issue the following directions:-

"........***Issue notice to the above respondents for filing their response/reply by way of affidavit before the Tribunal at least one week before the next date of hearing. If any respondent directly files the reply without routing it through his advocate, then the said respondent will remain virtually present to assist the Tribunal. List on 10.01.2025.............***"

A copy of the order dated 04.10.2024 passed by this Hon'ble Tribunal is annexed herewith and marked as **Annexure R-1.**

NOTARY Munishwar Dayal Advocate & Notary Katchery, Bareilly (U.P.) Reg. No. 8505 Valid Upto JUN-2028 GOVERNMENT OF INDIA

5. That the present affidavit is being filed in respectful compliance of the order dated 04.10.2024 passed by this Hon'ble Tribunal.

6. That the alleged unfortunate accident occurred on 02.10.2024 at around 3:30 PM in the house of one Rehman Shah, who along with his family members/ relatives, was illegally manufacturing firecrackers.

7. That the primary reason which led to the blast was that one Rehman Shah (owner of one of the houses), was illegally manufacturing firecrackers by using illegal explosive substances stored in his house, which led to the explosion resulting in the collapse of 2 (two) adjoining houses, whereas 5 (five) other houses were partially damaged.

NOTARY Munishwar Dayal Advocate & Notary Katchery, Bareilly (U.P.) Reg. No. 8505 Valid Upto 2026 GOVERNMENT OF INDIA

8. That it is submitted that one Nasir Shah(Relative of Rehman Shah) was granted license only for sale and storage of firecrackers, first time in the year of 2008, which was subsequently renewed from time to time. After the unfortunate incident the license of Nasir Shah was cancelled by the order of the deponent dated 21.10.2024.The said shop was located in Village- Sirauli which is situated outside the Municipal limits of District - Bareilly.

9. That it is submitted that on receiving the information about the explosion at the house of Rehman Shah, immediate steps were taken by the District Administration to provide relief facilities to the families of the deceased and injured persons.

10. That the deponent, vide its office order no 716/ST-2024 dated 03.10.2024 constituted a joint inspection committee, comprising of two officials from District Administration (Sub Divisional Magistrate- Aonla and Circle Officer Meerganj) to thoroughly investigate the alleged accident and submit a detailed report, within one week. A copy of the office order no 716/ST-2024 dated 03.10.2024 is herewith annexed and marked as **Annexure R-2.**

NOTARY
Munishwar Dayal
Advocate & Notary
Katchery, Bareilly (U.P.)
Reg. No. 8505
Valid Upto JUN-2026
GOVERNMENT OF INDIA

11. That the Joint Inspection Committee as constituted by the office order dated 03.10.2024, issued by the deponent, submitted its report on 10.10.2024. The said committee in its report observed that the primary reason which led to the explosion in the houses was due to illegal storage of explosive substances which were being used for manufacturing firecrackers. Due to the said explosion 6 (six) persons died on spot and 3 (three) injured persons were referred for medical treatment. During the course of the treatment, one Fatima succumbed to injuries on 07.10.2024, taking the death toll to 7 (seven) persons. A copy of the Joint

Inspection Report dated 10.10.2024 is herewith annexed and marked as **Annexure R-3.**

12. That the said Joint Committee Report further revealed that the explosion lead to the death of 7 (seven) persons, out of which 6 were relatives of Rehman Shah, whereas one Rukhsana, wife of Rukhsar was not related to the family of Rehman Shah.

13. That subsequent to the unfortunate incident, the Station House Officer- Sirauli, lodged an FIR on 03.10.2024, bearing case crime no. 325/2024, against 7 (seven) persons, under Sections 45, 46, 61, 61 (2), 62, 105, 106, 324 (4) & 324 (5) of Bhartiya Nyaya Sanhita, 2023, under Sections 5, 9 b & 9 c of The Explosives Act, 1884 and under Sections 3, 4 and 5 of the Explosives and Substances Act, 1908, in which all the accused persons were arrested and chargesheet has been filed. A copy of the FIR dated 03.10.2024 is herewith annexed and marked as **Annexure R-4.**

NOTARY Munishwar Dayal Advocate & Notary Katchery, Bareilly (U.P.) Reg. No. 8505 Valid Upto JUN 2028 GOVERNMENT OF INDIA

14. That the husband of the deceased Rukhsana being aggrieved from the damage caused to the house and death of his wife, approached the District Administration, through a representation dated 17.10.2024, seeking compensation. Similar representation were also made by persons whose

house were partially damaged on account of explosion. A copy of representations dated 17.10.2024, seeking compensation is collectively annexed herewith and marked as **Annexure R-5 (colly).**

15. That acting on the representations made by the individuals, the Sub Divisional Magistrate, Aonla, District- Bareilly, issued notices on 17.10.2024 to the 7 (seven) accused persons which were duly affixed at a conspicuous place on both the houses where the 7 (Seven) accused were residing. A copy of the notice issued by the Sub Divisional Magistrate, Aonla, District- Bareilly is annexed herewith and marked as **Annexure R- 6**.

NOTARY GOVERNMENT OF INDIA Munishwar Dayal Advocate & Notary Katchery, Bareilly (U.P.) Reg. No. 8505 Valid Upto JUN-2026

16. That since the unfortunate incident occurred on account of the illegal manufacturing of firecrackers by using illegal explosive substances stored in the house, leading to the explosion, wherein 7 (seven) persons died, the said incident, in any eventuality, cannot be said to fall under the category of Natural Calamity as per the Government Orders, issued by the State Government, wherein the State/ District Administration is bound to pay compensation to the deceased or injured persons, in such cases/ calamities. Hence,the District Administration is not liable to pay any compensation.

17. That the liability for loss of the human lives is solely and exclusively of the occupier of the land/ house (Rehman Shah) who was carrying out illegal manufacturing of firecrackers by using illegal explosive substances stored in his house.Further it has been recommended that for seeking compensation, appropriate legal remedy be availed by the members of the deceased as well as the persons whose house have been damaged, before the competent court, seeking compensation for damages.

18. That in the interest of justice, the present affidavit may be taken on record by this Hon'ble Tribunal.

NOTARY GOVERNMENT OF INDIA Munishwar Dayal Advocate & Notary Katchery, Bareilly (U.P.) Regn. No. 8505 Valid upto JUN-2026

DEPONENT

Verification

I, the deponent above named do hereby verify and state that the contents of the foregoing paragraphs of the above application are true to the best of my knowledge and belief, no part of it is false and nothing material has been concealed there from.

...ified By Shri Ravindra Kumar

Identified By Shri..... On this 4th day of Jan, 2025.

Sworned and Confirmed the Contents of the Affidavit in my Presence At Bareilly Date 04/01/25 And Further Understood The Contents

Munishwar Dayal
Advocate & Public Notary
Katchery, Bareilly (U P)

DEPONENT

NOTARIAL NOTARIAL

NOTARY Munishwar Dayal Advocate & Notary Katchery, Bareilly (U.P.) Reg. No. 8505 Valid Upto JUN-2026 GOVERNMENT OF INDIA

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL PRINCIPAL

BENCH, NEW DELHI

IN

ORIGINAL APPLICATION NO. 1221OF 2024

IN THE MATTER OF:

News Item titled "Bareilly cracker factory blast toll upto 6 main accused held" appearing in the Hindustan Times dated 03.10.2024

NOTARY Munishwar Dayal Advocate & Notary Katchery, Bareilly (U.P.) Reg. No. 8505 Valid Upto JUN-2026 GOVERNMENT OF INDIA

AFFIDAVIT

I Ravindra Kumar aged about 43 years, presently posted as District Magistrate – Bareilly, the deponent, do hereby solemnly state and affirm as under: -

24/04/01/25

1. That I am fully acquainted with the facts, circumstances and records of the instant case.

2. That I further state that the averments made in the application have been thoroughly read and understood by me and thereby I declare that the application has been prepared on behalf of District Magistrate Bareilly i.e. Respondent No. 4.

(9)

3. That the contents of the accompanying application are all true to my knowledge and the rest are on information derived from papers of the case and believed by me to be true.

DEPONENT

NOTARY
Munishwar Dayal
Advocate & Notary
Katchery, Bareilly (U.P.)
Reg. No. 8505
Valid Upto JUN-2026
GOVERNMENT OF INDIA

Verification:

I, the deponent above named do hereby verify and state that the contents of the foregoing paragraphs of the above Affidavit are true to the best of my knowledge and belief, no part of it is false and nothing material has been concealed therefrom. Verified by me on this 4th day of Jan, 2025.

DEPONENT

Certified By Shri........................
Identified By Shri........................
Sworned and Confirmed the Contents of the Affidavit in my Presence At Bareilly Date 4/01/25
And Further Understood The Contents

Munishwar Dayal
Advocate & Public Notary
Katchery, Bareilly (U.P.)

Item No. 17 Court No. 1

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

Original Application No. 1221/2024

News Item titled "Bareilly cracker factory blast toll upto 6 main accused held" appearing in the Hindustan Times dated 03.10.2024

Date of hearing: 04.10.2024

CORAM: HON'BLE MR. JUSTICE PRAKASH SHRIVASTAVA, CHAIRPERSON
HON'BLE MR. JUSTICE ARUN KUMAR TYAGI, JUDICIAL MEMBER
HON'BLE DR. A. SENTHIL VEL, EXPERT MEMBER

ORDER

1. This original application is registered *suo motu* on the basis of the news item titled "Bareilly cracker factory blast toll upto 6 main accused held" appearing in the 'Hindustan Times' dated 03.10.2024.

2. The news item relates to an explosion at a firecracker factory in Bareilly, Uttar Pradesh resulting in the death of six people, including two children and several others getting injured. As per the article the incident occurred on October 3, 2024, at around 3 PM, when the factory was reportedly operational, leading to a catastrophic blast that damaged nearby structures. The news item states that the accused only had licence to sell firecrackers, but was found operating an illegal firecracker factory at a relative's residence, where the incident occurred. It is alleged that the explosion led to the collapse of five adjoining houses. Furthermore, it is stated that the accused had stored around one quintal of gunpowder and other materials used in cracker manufacturing on the second and third floors of the house. The article asserts that the death toll is expected to rise. The news item does not indicate that any compensation has been paid to the family members of the deceased or injured.

3. The news item raises substantial issues relating to compliance of environmental norms.

4. Power of the Tribunal to take up the matter *suo-motu* has been recognized by the Hon'ble Supreme Court in the matter of *"Municipal Corporation of Greater Mumbai vs. Ankita Sinha & Ors." reported in 2021 SCC Online SC 897.*

5. Hence, we implead the following as respondents in the matter:

(1). Member Secretary, Uttar Pradesh Pollution Control Board, Building No. TC-12 V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar, Lucknow-226010.

(2). Member Secretary, Central Pollution Control Board, Parivesh Bhawan, East Arjun Nagar, Delhi-110032.

(3). Ministry of Environment, Forest and Climate Change (Regional Office, Lucknow), Kendriya Bhawan, 5th Floor, Sector H, Aliganj, Lucknow-226024.

(4). District Magistrate (DM), Bareilly, Collectorate, Civil Lines, Bareilly, Uttar Pradesh-243001.

(5). Joint Chief Controller of Explosives, Petroleum and Explosives Safety Organisation (PESO), Bareilly.

(6). ADG of State Disaster Response Force, U.P.

6. Issue notice to the above respondents for filing their response/reply by way of affidavit before the Tribunal at least one week before the next date of hearing. If any respondent directly files the reply without routing it through his advocate, then the said respondent will remain virtually present to assist the Tribunal.

7. List on 10.01.2025

Prakash Shrivastava, CP

Arun Kumar Tyagi, JM

Dr. A. Senthil Vel, EM

October 04, 2024
Original Application No. 1221/2024
dv..

कार्यालय जिलाधिकारी, बरेली।

पत्रांक : 716 / एस0टी0–2024 दिनांक : 03-10-2024

1– उप जिलाधिकारी आंवला।
2– क्षेत्राधिकारी, मीरगंज।

जनपद बरेली की तहसील आंवला क्षेत्रान्तर्गत ग्राम कल्यानुपर हैबतपुर थाना सिरौली में आतिशबाजी भण्डारण एवं निर्माण किया जा रहा था, जिससे दिनांक 02.10.2024 को विस्फोटक पदार्थ से अचानक विस्फोट हुआ। उक्त विस्फोट में 06 जनहानि एवं मकान क्षति आदि होना प्रकाश आया है।

उक्त विस्फोटक पदार्थ से अचानक हुए विस्फोट के सम्बन्ध में जांच किए जाने हेतु आपको नामित करते हुए निर्देशित किया जाता है कि प्रश्नगत् प्रकरण की जांच करते हुए अपनी संयुक्त जांच आख्या एक सप्ताह के अन्दर अधोहस्ताक्षरी के समक्ष प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

जिलाधिकारी
बरेली।

कार्यालय उपजिलाधिकारी, ऑवला जिला बरेली।

पत्रांकः– 226 /एस0टी0–2024 दिनांकः– 10.10.2024

विषय :– ग्राम कल्यानपुर हैबतपुर थाना सिरौली तहसील आंवला जिला बरेली में अतिशबाजी भण्डारण एवं निर्माण के समय अचानक हुए विस्फोट के सम्बन्ध में जांच आख्या का प्रेषण।

जिलाधिकारी,
बरेली।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक कार्यालय जिलाधिकारी बरेली के पत्रांक 716/एस0टी0–2024 दिनांक 03.10.2024 का संन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके अन्तर्गत जनपद बरेली में तहसील ऑवला क्षेत्रान्तर्गत ग्राम कल्यानपुर हैबतपुर थाना सिरौली में दिनांक 02.10.2024 को विस्फोटक पदार्थ से अचानक हुए विस्फोट के सम्बन्ध में उपजिलाधिकारी आंवला एवं क्षेत्राधिकारी मीरगंज की संयुक्त रूप से जांच आख्या चाही गयी है। जॉच आख्या निम्नवत् है।

उक्त के सम्बन्ध में सादर अवगत कराना है कि घटना दिनांक 02.10.2024 को अपरान्ह समय लगभग 3:30 बजे की है। ग्राम कल्यानपुर हैबतपुर थाना सिरौली तहसील ऑवला जिला बरेली में बड़े विस्फोट की सूचना प्राप्त हुई, जिसमें कुछ घर ध्वस्त हो गये। सूचना के प्राप्त होते ही तत्काल अधोहस्ताक्षरी व अन्य प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस अधिकारी व एस0डी0आर0एफ0, एफ0एस0एल0, फायर बिग्रेड, मेडिकल विभाग की टीमें घटना स्थल पर पहुंच गयी। घटना स्थल पर यू0पी0एस0डी0आर0एफ0 एवं अन्य स्थानीय व्यक्तियों के सहयोग से मृतको के शवों को खोजने हेतु रैस्क्यू आपरेशन चलाया गया था जो समय लगभग रात्रि 01:30 बजे (दिनांक 03.10.2024) समाप्त हो गया था।

घटना के सम्बन्ध में अधोहस्ताक्षरी द्वारा क्षेत्राधिकारी मीरगंज के साथ संयुक्त जॉच की गई। जॉच से विदित हुआ कि ग्राम कल्यानपुर हैबतपुर में आवादी के अन्दर श्री रहमान शाह पुत्र श्री जौक अली निवासी ग्राम कल्यानपुर हैबतपुर के घर/मकान में रहमान शाह एवं उसके रिश्तेदार (रहमान की बेटी के ससुराल पक्ष के अन्य लोग) द्वारा अबैध रूप से विस्फोटक सामग्री रखकर पटाखों का निर्माण किया जा रहा था। जिसमें अज्ञात कारणों से अचानक विस्फोट हो गया, जो व्यक्ति घटना के समय निर्माण में शामिल थे, उनकी मौके पर ही मृत्यु हो गई। विस्फोट के कारण उपरोक्त का घर पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो गया एवं आस–पास के घर भी क्षतिग्रस्त हो गये। उक्त घटना में विस्फोट एवं घर के मलवे में दबकर निम्न व्यक्तियों की मृत्यु हो गई। मृतकों के सम्बन्ध में विवरण निम्नवत् है :–

क्र0 सं0	मृतक का नाम/पिता/पति का नाम	आयु	लिंग	विवरण	पता
01.	तबस्सुम पत्नी वाहिद	30 वर्ष	म0	रहमान शाह की पुत्रवधु	ग्राम कल्यानपुर हैबतपुर थाना सिरौली तहसील ऑवला जिला बरेली।
02.	रुखसाना पत्नी रूखसार	35 वर्ष	म0	रहमान शाह के परिवार से अलग	ग्राम कल्यानपुर हैबतपुर थाना सिरौली तहसील ऑवला जिला बरेली।
03.	निखत उर्फ नीना पत्नी हसनैन	40 वर्ष	म0	रहमान शाह की बेटी की देवरानी	मो0 कौआ टोला कस्वा व थाना सिरौली तहसील ऑवला जिला बरेली।
04.	शहजान पुत्र वाहिद	03 वर्ष	पु0	रहमान शाह का पौत्र	ग्राम कल्यानपुर हैबतपुर थाना सिरौली तहसील ऑवला जिला बरेली।
05.	हरसान पुत्र वाहिद	05 वर्ष	पु0	रहमान शाह का पौत्र	ग्राम कल्यानपुर हैबतपुर थाना सिरौली तहसील ऑवला जिला बरेली।
06.	सितारा पत्नी नासिर	40 वर्ष	म0	रहमान शाह की बेटी की जेठानी	मो0 कौआ टोला कस्वा व थाना सिरौली तहसील ऑवला जिला बरेली।
07.	फातिमा पत्नी नाजिम (घटना के समय फातिमा घायल थी जिसका जिला अस्पताल में इलाज चल रहा था इलाज के दौरान दिनांक 07.10.2024 को मृत्यु हुई)	40 वर्ष	म0	रहमान शाह की बेटी की ननद	मो0 कौआ टोला कस्वा व थाना सिरौली तहसील ऑवला जिला बरेली।

मृतक व्यक्तियों में 6 व्यक्ति (02 बच्चों को सम्मिलित करते हुए) रहमान शाह के परिवार के ही है जबकि 01 व्यक्ति रूखसाना पत्नी रूखसार, रहमान शाह के परिवार से अलग है, जिनका घर पड़ोस में था विस्फोट के कारण इनका घर भी पूर्णतया क्षतिग्रस्त हो गया एवं रूखसाना की मृत्यु हो गयी। उक्त घटना में निम्नवत् व्यक्ति घायल हो गये थे जिनका उपचार जिला अस्पताल बरेली में किया गया, जिनका विवरण निम्नवत् है।

क्र0 सं0	घायल व्यक्ति का नाम/पिता/पति का नाम	आयु	लिंग	पता
01.	रहमान शाह पुत्र जौक अली	60 वर्ष	पु0	ग्राम कल्यानपुर हैबतपुर थाना सिरौली तहसील ऑवला जिला बरेली।
02.	छोटी बेगम पत्नी रहमान शाह	55 वर्ष	म0	ग्राम कल्यानपुर हैबतपुर थाना सिरौली तहसील ऑवला जिला बरेली।

उपरोक्त घटना में तत्काल ही घायल व्यक्तिओं को बेहतर उपचार हेतु जिला स्तर बरेली भेजा गया था, जहाँ चिकित्सकों की निगरानी में उनका इलाज किया गया।

उपरोक्त घटना में विस्फोट से जिन व्यक्तियों के मकान क्षतिग्रस्त हो गये थे, उनका विवरण निम्नवत् है-

क्र0 सं0	विस्फोट के कारण मकान क्षतिग्रस्त होने वाले व्यक्तियों के नाम/पिता/पति का नाम	लिंग	क्षति की स्थिति	विवरण	पता
01.	रहमान शाह पुत्र जौक अली	पु0	पूर्णतया	रहमान शाह स्वयं का मकान	ग्राम कल्यानपुर हैबतपुर थाना सिरौली तहसील ऑवला जिला बरेली।
02.	रूखसाना पत्नी रूखसार	म0	पूर्णतया	रहमान शाह के पड़ोसी	ग्राम कल्यानपुर हैबतपुर थाना सिरौली तहसील ऑवला जिला बरेली।
03.	इसरार पुत्र होशियार	पु0	आंशिक	रहमान शाह के पड़ोसी	ग्राम कल्यानपुर हैबतपुर थाना सिरौली तहसील ऑवला जिला बरेली।
04.	बाबू शाह पुत्र सूके शाह	पु0	आंशिक	रहमान शाह के पड़ोसी	ग्राम कल्यानपुर हैबतपुर थाना सिरौली तहसील ऑवला जिला बरेली।
05.	डा0 मोहम्मद अहमद पुत्र मोहब्बे	पु0	आंशिक	रहमान शाह के पड़ोसी	ग्राम कल्यानपुर हैबतपुर थाना सिरौली तहसील ऑवला जिला बरेली।
06.	नदीम पुत्र रहमान	पु0	आंशिक	रहमान शाह के पड़ोसी	ग्राम कल्यानपुर हैबतपुर थाना सिरौली तहसील ऑवला जिला बरेली।
07.	अफजल खां पुत्र जुल्फिकार खां	पु0	आंशिक कच्चा मकान	रहमान शाह के पड़ोसी	ग्राम कल्यानपुर हैबतपुर थाना सिरौली तहसील ऑवला जिला बरेली।

उपरोक्त घटना में श्री पीर शाह पुत्र सुराब शाह की एक भैंस जो चोटिल हो गई थी जो पूर्व में बीमार भी बताई गयी थी, की मृत्यु दिनांक 04.10.2024 को हो गई थी। सभी मृतको के पोर्स्टमार्टम की कार्यवाही पुलिस के माध्यम से की गई थी।

चूँकि घटना अवैध एवं गोपनीय रूप से पटाखे बनाने एवं उसमें विस्फोट होने के कारण हुई है, जिसके सम्बन्ध में थाना सिरौली में मुकद्दमा अपराध सं0 325/2024 पंजीकत कर कार्यवाही की जा रही है। शासनादेश अनुसार घटना दैवीय आपदा के अन्तर्गत अच्छादित नहीं है, इस कारण मृतको के परिजनों को कोई आर्थिक सहायता देय नहीं है, इस कारण कोई आर्थिक सहायता इनको नहीं दी गई।

उपरोक्त घटना के सम्बन्ध में जांच में पाया गया कि नाजिम पुत्र मुन्ने शाह नि0 कस्बा सिरौली द्वारा अपने परिवारीजनों के साथ अपनी ससुराल निवास रहमान शाह पुत्र जौक अली के आवासीय घर पर अवैध रूप पटाखों का निर्माण किया जा रहा था। किन्ही अज्ञात कारणों से घर में रखे विस्फोटकों में विस्फोट हो गया, जिस कारण उक्त घटना घटित हुई थी।

उक्त घटना दिनांक 02.10.2024 के सम्बन्ध में थाना प्रभारी सिरौली द्वारा मुकदमा अपराध संख्या 325 / 2024 दिनांक 03.10.2024 अन्तर्गत धारा भारतीय न्याय संहिता (बी0एन0एस0), 2023 धारा 45, 46, 61, 61(2), 62, 105, 106, 324(4), 324(5), विस्फोटक अधिनियम 1884 की धारा 5, 9बी, 9सी एवं विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908 की धारा 3, 4, 5, के अन्तर्गत सात व्यक्तियों के विरूद्व पंजीकृत किया गया है, जिनके नाम निम्नवत् है :–

01. रहमान शाह पुत्र जौक अली नि0ग्राम कल्यानपुर सिरौली बरेली उत्तर प्रदेश।
02. वाहिद पुत्र रहमान शाह नि0ग्राम कल्यानपुर सिरौली बरेली उत्तर प्रदेश।
03. नासिर पुत्र मुन्ने शाह नि0 मो0 कौआ टोला सिरौली बरेली उत्तर प्रदेश।
04. नाजिम पुत्र मुन्ने शाह नि0 मो0 कौआ टोला सिरौली बरेली उत्तर प्रदेश।
05. हसनैन पुत्र मुन्ने शाह नि0 मो0 कौआ टोला सिरौली बरेली उत्तर प्रदेश।
06. अहमद मियां पुत्र मुन्ने शाह नि0 मो0 कौआ टोला सिरौली बरेली उत्तर प्रदेश.।
07. मोहम्मद मियां पुत्र मुन्ने शाह नि0 मो0 कौआ टोला सिरौली बरेली उत्तर प्रदेश।

उपरोक्त जांच से स्पष्ट है कि घटना नाजिम शाह, रहमान शाह एवं उसके परिवारीजनों द्वारा किये जा रहे अवैध पटाखा निर्माण में प्रयुक्त होने वाली विस्फोटक सामग्री में अचानक विस्फोट होने के कारण हुई है, जिसमें एक व्यक्ति को छोडकर अन्य सभी सदस्य अवैध रूप से पटाखा निर्माण करने वाले नाजिम शाह व रहमान शाह के परिवार के थे। सम्बन्धित के विरूद्ध थाना सिरौली में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर ली गयी है। सभी सात अभियुक्तों की गिरफ्तारी भी की गई है। सभी अभियुक्त वर्तमान में भी जेल में निरूद्ध है एवं गहन विवेचना प्रचलित है।

महोदय की सेवा में जांच आख्या सादर अवलोकनार्थ प्रेषित है।

क्षेत्राधिकारी
मीरगंज

10.10.24
उपजिलाधिकारी,
ऑवला।

(17)

Annexure R-4

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)
I.I.F.-I (एकीकृत जाँच फार्म -I)

FIRST INFORMATION REPORT

(Under Section 154 Cr.P.C.)
प्रथम सूचना रिपोर्ट
(धारा 154 दंड प्रक्रिया सहिंता के तहत)

1. District (जिला): बरेली
   P.S. (थाना): सिरौली
   Year (वर्ष): 2024
   FIR No.(प्र.सू.रि. सं.): 0325
   Date &Time of FIR(प्र.सू.रि. की दिनांक/समय): 03/10/2024 01:34

2.

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धारा(एँ))
1	भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023	45
2	भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023	46
3	भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023	61
4	भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023	61(2)
5	भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023	62
6	भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023	105
7	भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023	106
8	भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023	324(4)
9	भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023	324(5)
10	विस्फोटक अधिनियम, 1884	5
11	विस्फोटक अधिनियम, 1884	9B
12	विस्फोटक अधिनियम, 1884	9C
13	विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, 1908	3
14	विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, 1908	4
15	विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, 1908	5

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)
I.I.F.-I (एकीकृत जाँच फार्म -I)

3.(a) Occurrence of offence (अपराध की घटना) :

1. Day (दिन): बुधवार Date From (दिनांक से): 02/10/2024 Date To (दिनांक तक): 02/10/2024

Time Period (समय अवधि): पहर 5 Time From (समय से): 15:30 बजे Time To (समय तक): 15:30 बजे

(b) Information received at P.S. (थाना जहां सूचना प्राप्त हुई):

Date (दिनांक): 03/10/2024 Time (समय):01:34 बजे

(c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ):

Entry No. (प्रविष्टि सं.): 003 Date & Time (दिनांक और समय): 03/10/2024 01:34 बजे

4. Type of Information (सूचना का प्रकार): लिखित

5. Place of Occurrence (घटनास्थल):

1. (a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूरी और दिशा): पूर्व, 07 किमी Beat No. (बीट सं.):

(b) Address (पता): ग्राम कल्यानपुर हैवतपुर

(c) In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर है तो):

Name of P.S. (थाना का नाम): District(State) (ज़िला (राज्य)):

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)
I.I.F.-I (एकीकृत जाँच फार्म -I)

6.Complainant / Informant (शिकायतकर्ता/सूचनाकर्ता):

(a) Name (नाम): प्र0 निरीक्षक श्री रवि कुमार

(b) Father's/Husband's Name(पिता / पति का नाम):

(c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष): 1974

(d) Nationality (राष्ट्रीयता): भारत

(e) UID No. (यूआईडी सं॰):

(f) Passport No.(पासपोर्ट सं॰):

Date of Issue (जारी करने की तिथि):

Place of Issue (जारी करने का स्थान):

(g) Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License, PAN)

S.No.(क्र.सं.)	Id Type (पहचान पत्र का प्रकार)	Id Number (पहचान संख्या)
1		

(h) Address (पता):

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	थाना सिरौली ,सिरौली,बरेली,उत्तर प्रदेश,भारत
2	स्थायी पता	थाना सिरौली ,सिरौली,बरेली,उत्तर प्रदेश,भारत

(i) Occupation (व्यवसाय):

(j) Phone number (दूरभाष सं.):

Mobile (मोबाइल सं.): 91-8650507644

7.Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):

Accused More Than (अज्ञात आरोपी एक से अधिक हों तो संख्या):

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)
I.I.F.-I (एकीकृत जाँच फार्म -I)

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Present Address (वर्तमान पता)
1	रहमान शाह		पिता का नाम : जोक अली	1. ग्राम कल्याणपुर ,सिरौली,बरेली, उत्तर प्रदेश,भारत
2	वाहिद		पिता का नाम : रहमान शाह	1. ग्राम कल्यानपुर ,सिरौली,बरेली, उत्तर प्रदेश,भारत
3	नासिर		पिता का नाम : मुन्ने शाह	1. मो0 कौआ टौला ,सिरौली, बरेली,उत्तर प्रदेश,भारत
4	नाजिम		पिता का नाम : मुन्ने शाह	1. मो0 कौया टौला,सिरौली,बरेली, उत्तर प्रदेश,भारत
5	हसनैन		पिता का नाम : मुन्ने शाह	1. मो0 कौआ टौला ,सिरौली, बरेली,उत्तर प्रदेश,भारत
6	अहमद मिया		पिता का नाम : मुन्ने शाह	1. मो0 कौआ टौला ,सिरौली, बरेली,उत्तर प्रदेश,भारत
7	मोहम्मद मिया		पिता का नाम : मुन्ने शाह	1. मो0 कौआ टौला ,सिरौली, बरेली,उत्तर प्रदेश,भारत

8.Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9.Particulars of properties of interest (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण):

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (संपत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति का प्रकार)	Description (विवरण)	Value (In Rs/-) (मूल्य (रु में))

10. Total value of property (In Rs/-)-सम्पत्ति का कुल मूल्य(रु

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू॰डी॰प्रकरण सं., यदि कोई हो):

S.No.	UIDB Number

12.First Information contents (प्रथम सूचना तथ्य):

नकल प्रा0पत्र .... सादर अवगत कराना है कि दिनांक 02.10.2024 को गांव कल्यानपुर हैबतपुर थाना सिरौली जिला बरेली मे दोपहर करीब 15.30 बजे रहमान शाह पुत्र जोक अली शाह नि0 ग्राम कल्याणपुर हैबतपुर जिला बरेली के घर पर जोरदार विस्फोट विस्फोटक पदार्थ से धमाका हुआ है। जिससे रहमान शाह पुत्र जोक अली शाह व बाबू शाह पुत्र सूखे शाह तथा इसरार पुत्र होशियार व रुकसार पुत्र जुल्फिकार के मकान पूर्णत ध्वशतः

(21)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)
I.I.F.-I (एकीकृत जाँच फार्म -I)

हो गये तथा मौ0 अहमद पुत्र मुहब्बे अहमद का मकान आंशिक रुप से टूट गया तथा विस्फोट से तब्स्सूम पत्नी वाहिद , रुकसाना पत्नी रुकसार , निरवत पत्नि हैसनन की मृत्यु हो गई जिनमे तबस्सुम व रुकसाना ग्राम कल्याणपुर की निवासी है तथा निरवत मौ0 कौआटोला कस्बा व थाना सिरौली की निवासी है। तथा रहमान शाह पुत्र जोकअली, छोटी बेगम पत्नि रहमान शाह , फातिमा पत्नी नाजिम , सितारा पत्नी नासिर गम्भीर रुप से घायल हो गये जिनमे रहमान शाह व छोटी बेगम ग्राम कल्याणपुर थाना सिरौली व शेष मौ0 कौआ टोला कस्बा सिरौली के विवासी है। तथा दो बच्चे हसैन व हसैना पुत्र वाहिद अभी तक लापता है । मौके पर SDRF फायर सर्विस , फील्ड यूनिट A.S चैक आदि मौके पर आ गये है। जिनसे लापता बच्चो की तलाश करायी जा रही है। उक्त विस्फोटक पदार्थ रहमान शाह पुत्र जोक अली , वाहिद पुत्र रहमान शाह निवासी कल्याणपुर थाना सिरौली जिला बरेली व नासिर , नाजिम, हैसनन , अहमद मियां ,मोहम्मद मिया पुत्रगण मुन्ने शाह नि0गण मौ0 कौआटोला कस्बा व थाना सिरौली जिला बरेली अवैध रुप से बिना लाइसेंस भण्डारण व निर्माण कर रहे थे जिससे अपार जन व धन की हानि हुई है । अभि0गणो का यह कृत विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1884 की धारा 5/9बी/9सी विस्फोट पदार्थ अधिनियम 1908 की धारा 3/4/5 व बीएनएस की धारा 45/46/61/61(2)/62(2)/105/106/324 (4)/(5) के अन्तर्गत जुर्म से दण्डनीय है । अतः अभियुक्तगणो के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत करे। SD ह0 अग्रेजी अपठित 02/10/24(रवि कुमार) SHO सिरौली बरेली नोट-मै का0 2890 शिवकुमार प्रमाणित करता हूँ कि उक्त प्रा0 पत्र की नकल मेरे द्वारा कम्प्यूटर पर का0 2940 सुमित गौड से शब्द ब शब्द बोल बोलकर टाईप कराया गया है ।

13. Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.

(की गयी कार्यवाही : चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं. 2 में उल्लेख धारा के तहत है |)

(1) Registered the case and took up the investigation: (प्रकरण दर्ज किया गया और जांच के लिए लिया गया): or (या

(2) Directed (Name of I.O.) (जांच अधिकारी का नाम): Pramod kumar **Rank** (पद): I (Inspector)

No. (सं.): 890931200 **to take up the Investigation** (को जांच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) **or** (या

(3) Refused investigation due to (जांच के लिए):

(22)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी
I.I.F.-I (एकीकृत जाँच फार्म -I

or (के कारण इंकार किया या)

(4) Transferred to P.S. (थाना): District (ज़िला):
on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R. read over to the complainant / informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant / informant free of cost. (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और एक कॉपी निशुल्क शिकायतकर्ता को दी गयी |)

R.O.A.C.(आर. ओ .ए .सी.)

14 Signature/Thumb impression of the complainant / informant.(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):

15 Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

Signature of Officer in charge
Police Station
(थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Name SHO SIRAULI
Rank I (Inspector)
No. 9454403104

(23)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)
I.I.F.-I (एकीकृत जाँच फार्म -I)

Attachment to item 7 of First Information Report
(प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):
Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:
(If known / seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :
(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height (cms.) (कद (से.मी.))	Complexion (रंग)	Identification Mark (s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	पुरुष					
2	पुरुष					
3	पुरुष					

4	पुरुष					

5	पुरुष					

6	पुरुष					

7	पुरुष					

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)
I.I.F.-I (एकीकृत जाँच फार्म -I)

Deformities/ Peculiarities	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा/बोली)	Place Of (का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (लुकोदेर्मा (सफ़ेद धब्बे))	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)
I.I.F.-I (एकीकृत जाँच फार्म -I)

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है ।)

Annexure R-5

सेवा में,

श्रीमान उपजिलाधिकारी महोदय,
आंवला जिला बरेली

महोदय,

निवेदन करना है कि प्रार्थी रूखसार खाँ पुत्र जुल्फकार खाँ नि
ग्राम कल्यानपुरहैवतपुर विकासखण्ड रामनगर तहसील आंवला जिला बरे
का निवासी हूँ। यह कि दिनांक 02-10-2024 को प्रार्थी के गांव के
रहमान शाह पुत्र जोकली शाह व वाहिदशाह पुत्र रहमान शाह
घर मे हुए पटाखा विस्फोट मे प्रार्थी का सम्पूर्ण मकान ढह गया तथा
मकान मे दबकर प्रार्थी की पत्नी श्रीमती रूखसाना बेगम की मृत्यु हो
गई। रहमान शाह के मकान मे सिरौली का नाजिम पुत्र मुन्नेशाह
व उसके परिवारीजन पटाखा बना रहे थे जिस कारण प्रार्थी के लिए
अपूर्णनीय क्षति हुई है। प्रार्थी पर 04 नाबालिग बच्चे है तथा प्रा
के पास रहने के लिए मकान भी नही है।

अतः श्रीमानजी से निवेदन है कि प्रार्थी के लिए मकान गिर
की क्षति पूर्ति हेतु दो लाख रूपये दिलाये { मुआवजा दिलवाया जावे !}
तथा पत्नी की मृत्यु के दशा मे प्रार्थी को चार लाख रूपये का मुआवजा
दिलवाया जावे। आपकी अति कृपा होगी।

दिनांक - 17/10/2024

प्रार्थी

रूखसार खाँ पुत्र जुल्फकार खाँ
निवासी, ग्राम कल्यानपुर हैवतपुर
तहसील आंवला ब्लाक रामनगर
जिला बरेली
मो0न0-- 6306020313

ST
17/10/24
SDM

(28)

सेवा में,

श्रीमान उपजिलाधिकारी महोदय,
आंवला जिला बरेली

महोदय,

निवेदन करना है कि प्रार्थिनी शायरा बेगम पत्नी श्री इसरार निवासी, ग्राम कल्यानपुर हैवतपुर विकासखण्ड रामनगर तहसील आंवला जिला बरेली की निवासिन है। यह कि दिनांक 02-10-2024 को प्रार्थी के गांव के ही रहमान शाह पुत्र जोकअली शाह व वाहिदशाह पुत्र रहमान शाह के घर मे हुए पटाखा विस्फोट मे प्रार्थी का सम्पूर्ण मकान ढह गया तथा रहमानशाह के मकान मे सिरौली के [illegible] नाजिम पुत्र मुन्नेशाह व उसके परिवारीजन पटाखा बना रहे थे जिस कारण प्रार्थी के लिए अपूर्णनीय क्षति हुई है।

अतः श्रीमानजी से निवेदन करना है कि प्रार्थी के लिए मकान गिरने की क्षति पूर्ति हेतु दो लाख रूपये का मुआवजा दिलवाने की कृपा करें। आपकी अति महान कृपा होगी।

दिनांक – 17/10/2024

प्रार्थिनी

निशान शायरी

शायरा बेगम पत्नी श्री इसरार
नि0 ग्राम कल्यानपुर हैवतपुर
तहसील आंवला जिला बरेली

SP
17x124
SDM

सेवा में,

श्रीमान उपजिलाधिकारी महोदय,
आंवला जिला बरेली

महोदय,

निवेदन करना है कि प्रार्थिनी जरीना बेगम पत्नी अफजल निवासी, गाम कल्यानपुर हैवतपुर ब्लाक रामनगर तहसील आंवला जिला बरेली की निवासिन है। यहकि दिनांक 02-10-2024 को प्रार्थी के गाँ के ही रहमान शाह पुत्र जीकअली शाह व वाहिद शाह पुत्र रहम शाह के घर मे हुए पटाखा विस्फोट मे प्रार्थिनी का सम्पूर्ण मकान ढ गया तथा रहमान शाह के मकान मे सिरौली का नाजिम पुत्र मु शाह व उसके परिवारीजन पटाखा बना रहे थे। जिस कारण प्रार्थि को अपूर्णनीय क्षति हुई है। तथा प्रार्थिनी के पास रहने के लिए अन्य कोई मकान नही है।

अतः श्रीमानजी से निवेदन करनाहैकि प्रार्थिनी को मकान का मुआवजा 300000/- तीन लाख रुपये दिलवाने की कृपा करें।

दिनांक - 17/10/2024

प्रार्थिनी

जरीना बेगम पत्नी अफजल खाँ
नि0, गाम कल्यानपुर हैवतपुर
तहसील आंवला जिला बरेली

SP
17/x/24
SDM

Left

सेवा में,

श्रीमान उपजिलाधिकारी महोदय,
आंवला जिला बरेली

महोदय,

निवेदन करना है कि प्रार्थी रुखसार पत्नी बाबू शाह ग्राम कल्यानपुर हैवतपुर तहसील आंवला ब्लाक रामनगर जिला बरेली की निवासिन हूं तथा दिनांक 02-10-2024 को प्रार्थी के गांव के ही रहमान शाह पुत्र जोकअली शाह व वाहिद शाह पुत्र रहमान के घर मे हुए पटाखा विस्फोट मे प्रार्थी का सम्पूर्ण मकान ढह गया रहमान शाह के मकान मे नाजिम पुत्र मुन्ने शाह व उसके परिवारीजन निवासी सिरौली जिला बरेली पटाखा बन रहे है तथा पटाखा बम विस्फोट मे प्रार्थी का मकान ढह जाने से प्रार्थी के लिए अपूर्णनीय क्षति हुई है।

अतः श्रीमानजी से निवेदन करना है कि प्रार्थिनी का घर ढह जाने की क्षति पूर्ति हेतु 500000/- पांच लाख रूपये का मुआवजा दिलवाने की कृपा करें। आपकी अति महान कृपा होगी।

दिनांक -17/10/24

प्रार्थिनी

रुखसार पत्नी बाबूशाह
निवासी कल्यानपुर हैवतपुर
तहसील आंवला जिला बरे

SI
17/10/24
SDM

कार्यालय उपजिलाधिकारी ऑवला, बरेली।

पत्रांकः– 259 एस0टी0/–2024

दिनांकः–17.10.2024

नोटिस

01. रहमान शाह पुत्र जोक अली नि0ग्राम कल्यानपुर सिरौली बरेली उत्तर प्रदेश।
02. वाहिद पुत्र रहमान शाह नि0ग्राम कल्यानपुर सिरौली बरेली उत्तर प्रदेश।
03. नासिर पुत्र मुन्ने शाह नि0 मो0 कौआ टोला सिरौली बरेली उत्तर प्रदेश।
04. नाजिम पुत्र मुन्ने शाह नि0 मो0 कौआ टोला सिरौली बरेली उत्तर प्रदेश।
05. हसनैन पुत्र मुन्ने शाह नि0 मो0 कौआ टोला सिरौली बरेली उत्तर प्रदेश।
06. अहमद मियां पुत्र मुन्ने शाह नि0 मो0 कौआ टोला सिरौली बरेली उत्तर प्रदेश।
07. मोहम्मद मियां पुत्र मुन्ने शाह नि0 मो0 कौआ टोला सिरौली बरेली उत्तर प्रदेश।

निम्नलिखित शिकायतकर्ताओं द्वारा दिनांक 02.10.2024 को ग्राम कल्यानपुर हैबतपुर थाना सिरौली में हुए पटाखा विस्फोट से मकान की क्षति पूर्ति हेतु प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए है जिनका विवरण निम्नवत् हैः–

01. श्रीमती रूखसार पत्नी बाबू शाह नि0ग्राम कल्यानपुर हैबतपुर तहसील ऑवला जिला बरेली द्वारा अपने प्रार्थना पत्र दिनांक 17.10.2024 में अंकित किया है कि दिनांक 02.10.2024 को प्रार्थी के गांव के ही रहमान शाह पुत्र जौक अली शाह व वाहिद शाह पुत्र रहमान शाह के घर में हुए पटाखा विस्फोट में प्रार्थी का सम्पूर्ण मकान ढह गया। मकान ढह जाने से प्रार्थी के लिए अपूर्णनीय क्षति हुई हैं। प्रार्थी को मकान ढह जाने की क्षतिप्रतिपूर्ति हेतु 5 लाख रूपये का मुआवजा दिलाये जाने की प्रार्थना की है।
02. श्रीमती शायरा वेगम पत्नी इसरार कल्यानपुर हैबतपुर तहसील ऑवला जिला बरेली द्वारा अपने प्रार्थना पत्र दिनांक 17.10.2024 में अंकित किया है कि दिनांक 02.10.2024 को प्रार्थी के गांव के ही रहमान शाह पुत्र जौक अली शाह व वाहिद शाह पुत्र रहमान शाह के घर में हुए पटाखा विस्फोट में प्रार्थी का सम्पूर्ण मकान ढह गया। मकान ढह जाने से प्रार्थी के लिए अपूर्णनीय क्षति हुई हैं। प्रार्थी को मकान ढह जाने की क्षतिप्रतिपूर्ति हेतु 2 लाख रूपये का मुआवजा दिलाये जाने की प्रार्थना की है।
03. श्रीमती जरीना वेगम पत्नी अफजल खां कल्यानपुर हैबतपुर तहसील ऑवला जिला बरेली द्वारा अपने प्रार्थना पत्र दिनांक 17.10.2024 में अंकित किया है कि दिनांक 02.10.2024 को प्रार्थी के गांव के ही रहमान शाह पुत्र जौक अली शाह व वाहिद शाह पुत्र रहमान शाह के घर में हुए पटाखा विस्फोट में प्रार्थी का सम्पूर्ण मकान ढह गया। मकान ढह जाने से प्रार्थी के लिए अपूर्णनीय क्षति हुई हैं। प्रार्थी को मकान ढह जाने की क्षतिप्रतिपूर्ति हेतु 3 लाख रूपये का मुआवजा दिलाये जाने की प्रार्थना की है।
04. श्री रूखशार खां पुत्र जुल्फिकार खां कल्यानपुर हैबतपुर तहसील ऑवला जिला बरेली द्वारा अपने प्रार्थना पत्र दिनांक 17.10.2024 में अंकित किया है कि दिनांक 02.10.2024 को प्रार्थी के गांव के ही रहमान शाह पुत्र जौक अली शाह व वाहिद शाह पुत्र रहमान शाह के घर में हुए पटाखा विस्फोट में प्रार्थी का सम्पूर्ण मकान ढह गया तथा मकान में दबकर प्रार्थिनी की पत्नी रूखसाना वेगम की मृत्यु हो गई। मकान ढह जाने से प्रार्थी के लिए अपूर्णनीय क्षति हुई हैं। प्रार्थी के 04 नावालिग बच्चे हैं तथा प्रार्थी के पास रहने को मकान भी नहीं है। प्रार्थी को मकान ढह जाने की क्षतिप्रतिपूर्ति हेतु 2 लाख रूपये का मुआवजा व प्रार्थी की पत्नी की मृत्यु का 04 लाख रूपये का मुआवजा दिलाये जाने की प्रार्थना की है।

अतः आपके द्वारा अबैधानिक तरीके से वनाये जा रहे पटाखों से विस्फोट होने के कारण हुई मकानों के क्षतिग्रस्त होने का उचित मुआवजा व रूखसाना वेगम की मृत्यु का उचित मुआवजा देना सुनिश्चित करें।

उपजिलाधिकारी,
ऑवला।
०।८

प्रतिलिपिः–

01. तहसीलदार ऑवला को इस निर्देश के साथ की नोटिस की विधिवत तामीली कराना सुनिश्चित करें।

कार्यालय उपजिला ऑवला (बरेली)

उपजिलाधिकारी,
ऑवला।
०।८